न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर।

अपील संख्या-27/2006

रामावतार जोगाणी (मृतक)

1- भगवती देवी पत्नी रामावतार

2- मधुमति पुत्री रामावतार

3- मधुसुदन पुत्र रामावतार

4- मनोज पुत्र रामावतार

5- महेश पुत्र रामावतार

6- महेन्द्र पुत्र रामावतार

सभी जाति महाजन जोगानी निवासी वार्ड नं0-24 पोलोग्राउण्ड सीकर तहसील व जिला सीकर ।

---अपीलान्टस्---

बनाम

सत्यमेव जयते

1- राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सीकर ।

2- गोपाल पुत्र मोहनलाल जाति सैनी निवासी चन्दपुरा हाल अशोक बिहार होटल गोल्डन पैलेस के पिछे जाव में सीकर जिला सीकर ।

3- प्रभूदत्त पुत्र मदनलाल जाति सैनी निवासी वार्ड नं0-14 सीकर हाल शिवम जनरल स्टोर चन्दपुरा बीकानेर जयपुर बाईपास पर जाव में सीकर ।

4- मुरलीधर पुत्र देबूराम जाति सैनी निवासी वार्ड नं0-14 धर्माणा बगीची के के पास सीकर हाल वार्ड नं0-22 रामलीला मैदान के पीछे सीकर तहसील व जिला सीकर ।

5- सुरजाराम (मृतक)

5/1- सोहनी देवी पत्नी सुरजाराम सैनी निवासी वार्ड नं0-14 धर्माणा बगीची के पास सीकर हाल वार्ड नं0-21 रामपुरा रोड धर्माणा बगीची के आगे सीकर जाव सुरजाराम बागवान का दुर्गा कालोनी के पास सीकर तहसील व जिला सीकर ।

5/2- भंवरी पुत्री सुरजाराम पत्नी सीताराम पुत्र सुण्डाराम सैनी निवासी वार्ड नम्बर 14 धर्माणा बगीची के पास सीकर हाल मिश्रा जी का चौराह

Web Copy - Not Official

5/3- भगवानी पुत्री सुरजाराम सैनी पत्नी सुरजाराम माली निवासी वार्ड नं0--14 धर्माणा बगीची के पास सीकर हाल उदयलाल की ढाणी चैनपुरा दादली तहसील व जिला सीकर ।

---रेस्पोडेन्टस्---

रिव्यू प्रार्थना पत्र आदेश दिनांक
21-4-2000 द्वारा अदालत हाजा
--0---

उपस्थिति-

1-श्री अमरचन्द गोयल एडवोकेट- अपीलान्ट
2-श्री रामेश्वरलाल बिजारणीया एडवोकेट- अपीलान्ट
3-श्री महेशकुमार जांगिड एडवोकेट- रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक- 4.6.2018

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/अपीलान्ट रामावतार ने विद्वान जिला कलेक्टर सीकर को एक प्रार्थना पत्र पेश किया कि आराजी ख0नं0 1631 गै0मु0 रास्ता कस्बा सीकर में अतिक्रमण कर रास्ता को अवरूद्ध किया गया है ।तथा पक्का निमार्ण भी रास्ते में किया जा रहा है । जिसे तुरन्त हटवाया जावे ।। इस प्रार्थना पत्र को जि.ा कलेक्टर सीकर ने तहसीलदार सीकर को वास्ते जांच करने हेतु भिजवाया । जिस पर तहसीलदार ने मौके की जांच की तो पाया कि शिकायतकर्त्ता रामावतार जोगानी के पत्थर ही रास्ते में पाये गये जिनको हटाने का आदेश विद्वान तहसीलदार सीकर ने दिनांक 3-1-1992 को जारी किय इस आदेश के विरूद्ध विद्वान जिला कलेक्टर सीकर के यहां अपील पेश की जिसे विद्वान जिला कलेक्टर सीकर ने बाद सुनवाई अपील खारिज की। जिसके विरूद्ध अपीलान्ट रामावतार ने अदालत हाजा में अपील पेश की जिस पर सुनवाई करते हुये अपीलान्ट की अपील को दिनांक 21-4-2000 को खारिज किया गया ।

इस आदेश के विरूद्ध प्रार्थी/रामावतार न प्रार्थना पत्र पुनर्विलोकन का पेश किया जिसे अदालत ~~हाजा~~ हाजा ने दिनांक 23-5-2000 को खारिज कर दिया । इस आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट रामावतार ने माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में निगरानी पेश की जिसे माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने स्वीकार कर अदालत हाजा का निर्णय दिनांक 23-5-2000 खारिज कर प्रकरण रिमाण्ड किया तथा निर्देश दिये कि दोनो पक्षों को सुनकर मैरिट पर स्पष्ट एवं विस्तृत निर्णय पारित करें । इस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया । पक्षकारान को जरिये सरकारी नोटिस तलब किया गया ।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने लिखित बहस पेश करते हुये कथन किया कि अपीलार्थी का खसरा नं0 1647, 1648, 1649 के पश्चिम में एक आम रास्ता खसरा नं0- 1631 जो 0.91 हैक्टर में से रास्ते से सटते हुए पश्चिम में खसरा नं0 1488 व 1489 जो उदयलाल व लक्ष्मीनारायण के नाम से खातेदारी है जो काफी समय पहले पुराना खसरा नम्बर 491/6 राजस्व रेकार्ड में सरकारी गैर मुमकीन भूमि दर्ज थी । जिसको तहसीलदार सीकर ने राजस्व मण्डल में रेफरेन्स कर निग--रानी पेश कर मुकदमा नं0-858/11 पेश की जो आज भी स्टे आर्डर जारी करते हुये विचाराधीन है ।तहसीलदार ने जिला कलेक्टर के आदेश दिनांक 20-12-1991 से जो मौका रिपोर्ट नायब तहसीलदार एवं हल्का गिरदावर ने 20-12-1991 को तैयार की वह मौके के विपरित गलत बनाई है। इस रिपोर्ट में रामावतार की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1649 की पूरब से पश्चिम सीमा 193 मीटर लम्बाई मानकर व रेकार्ड एवं नक्शे के विपरीत मानकर इसमे आगे 3 मीटर पर खसरा नम्बर 1631 पर अतिक्रमण माना था जबकि उसी मौके की रिपोर्ट पर रामावतार अपीलार्थी ने अपने हस्ताक्षर कर लिखा था कि मेरे पत्थर 193 मीटर तक मेरी सीमा व खातेदारी भूमि में ही पडे है। इसके बाद भी विद्वान तहसीलदार सीकर ने दिनांक 3-1-92 को निर्णय अपीलान्ट के विरूद्ध पारित करने में कानूनी भूल की है । दिनांक 20-12-1991 व 27-5-2011 की

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधि...

मौका रिपोर्ट में खसरा नम्बर 1488 उदयलाल व खसरा नं0 1489 दुर्गादत्त का नायब तहसीलदार एवं गिरदावर हल्का ने पक्का चबूतरा व आटा चक्की व शिव शक्ति मन्दिर व दुकानों का निर्माण होना बताया है जिसका धारा-91 राज0 भू-राजस्व अधिनियम-1956 का नोटिस जारी होने के बाद आज तक कोई कार्य--वाही नहीं हुई। जबकि यह अतिक्रमण ख0नं0 1631 आम रास्ते के भूमि पर आज तक मौजूद है ।अदालत मातहत ने एवंमाननीय अदालत हाजा ने इस बिन्दू पर कोई गौर न कर अपना निर्णय दिया है । अपीलार्थी ने दिनांक 22-6-17 को एक प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम-27 सीपीसी फददस्तावेज क्रमांक 1 से 45 तक पेश है। इनमें ख0नं0 1649 का सरकारी रेकार्ड के अनुसार सम्पूर्ण दस्तावेज में पूरब पश्चिम की लम्बाई 196 मीटर मानी है। कहीं भी अपीलान्ट का भूमि अवाप्ति नोटिस नगर परिषद मौका रिपोर्ट सतीशचन्द नगरपरिषद इंस्पेक्टर के बयान, तहसीलदार की मौका रिपोर्ट, भू-प्रबन्ध विभाग की पत्थरगढी रिर्पोट नगरपरिषद का जबाब, ए0सी0जे0एम0 न्यायालय सीकर का निर्णय दिनांक 20-2-2004, हाई कोर्ट में तहसीलदार की जबाब की टिप्पणी में भी अपीलार्थी का उसकी खातेदारी भूमि से अधिक पर अतिक्रमण नहीं बताया है ।इन तथ्यों पर कोई गौर न कर आदेश पारित किया है । एक दावा रामोतार बनाम उदयलाल ए0सी0जे0एम0 कोर्ट सीकर में ख0नं0 1488 एवं 1489 का रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण का पेश कर रखा है जिसकी नकल भी फद दस्तावेज के साथ पेश है ।खसरा नं0-1631 गै0मु0 रास्ता पर उदयलाल व दुर्गादत का ही अतिक्रमण है ।ये लोग रास्ते की भूमि पर दुकान बनाकर प्लाट काट कर भू-माफियाओं को बैचान करने पर आमादा है ।फर्द सूची सं0-14 मे मौका रिपोर्ट आदेश एस0डी0ओं के पालनार्थ पटवारी, गिरदावर हल्का द्वारा दिनांक 23-9-1999 का पैरा सं0- 4,5 मे खातेदार उदयलाल ने खसरा नं0 1487 के उत्तर दिशा में व खसरा नं0 1484 चारागाह भूमि पर व खसरा नं0 1483 की धर्माणा बगीची की भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। अपीलान्ट अपनी ही भूमि पर काबिज है। अपीलान्ट रामावतार का रास्ते की भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है । मौका रिपोर्ड दिनांक 23-3-2000 में ख0नं0 1631

उदयलाल का कब्जा है ।उदयलाल, निर्मलकुमार का पक्का निर्माण किया हुआ है इस प्रकार उदयलाल व निर्मलकुमार न पक्का निर्माण कर रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। अतः प्रार्थी अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत के निर्णय निरस्त किये जावे।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने लिखित बहस पेश करते हुये कथन किया कि कस्बा सीकर की तन में आराजी ख0नं0 491/4 रकबा 41 बीघा पुखता अवस्थित है। जिसके खातेदार खुद काबिज काश्तकार रावराजा कल्याणसिंहजी सम्वत 2011 से 2029 तक रहे। कालान्तर में सम्वत 2030 से 2033 में रावराजा कल्याणसिंहजी के स्थान पर रावराजा विक्रमसिंह की खातेदारी दर्ज हुई यह ख0नं0 491/4 चार भागों में विभक्त होकर निम्नलिखित बटटे नम्बर कायम किये

ख0नं0	रकबा	खातेदार
491/4	1 बीघा पुखता	पुष्प नारायणसिंह पुत्र फतेहसिंह
491/4	29 बीघा 8बि0	स्वयं रावराजा सीकर के नाम
491/4	3 बीघा 14बि0	मदनलाल रामगोपाल साबु
491/4	6 बीघा 18बि0	रामोतार पुत्र केशरीलाल जागानी

उक्त आराजी कृषि भूमि है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के तहत ही खातेदारी अधिकार हस्तान्तरण के प्रावधान है। जिसमें विक्रय दान, वसीयत के आधार पर खातेदारी अधिकार हस्तांतरित किये जा सकते हैं।हस्तिगत प्रकरण में आराजी ख0नं0 491/4 का मूल खातेदार रावराजा कल्याणसिंह जी रहे हैं । जिन्होने उक्त आराजी में अपीलान्ट को न तो कोई दान किया न कोई विक्रय एवं वसीयत से आराजी दी है । ख0नं0 491/4 रकबा 6 बीघा 18 बिस्वा के सम्बन्ध में एक सादे कागज पर गंगाबक्स पुत्र सबलजी धाभाई द्वारा लिखे गये इकरारनामें के आधार पर दर्ज खातेदारी आरम्भ से ही शून्य है। तथा शुन्य दस्तावेज के आधार पर पारित डिक्री आरम्भ से ही शुन्य है । अपीलान्ट को दिनांक 10-2-1970 के आधार पर 6 बीघा 18 बिस्वा की डिक्री शुरू से ही शुन्य है । भू-प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान अपीलान्ट की खातेदारी की भूमि ख0नं0 491/4 रकबा 6 बीघा 18 बिस्वा के नये खसरा नम्बर

1647, 1648, 1649 कुल किता-3 रकबा 2.61 हैक्टर कायम किये गये हैं । रकबा 6 बीघा 18 बिस्वा का हैक्टर में रकबा 1.73 हैक्टर होता है जबकि सैटलमेन्ट में इस आराजी का कुल रकबा 2.61 हैक्टर दर्ज किया है जो 0.88 हैक्टर अधिक दर्ज किया गया है । कृषि भूमि अचल स्थावर सम्पति है जो न तो फैलती है और न सिकुडती है ।अपीलान्ट को 0.88 हैक्टर रकबा अधिक दिया गया है तो यह निश्चित है कि किसी पडौसी का रकबा कम हुआ हैऔर यदि किसी का रकबा कम नहीं हुआ है तो निश्चित तौर पर गांव का रकबा बढेगा तहसील का रकबा बढेगा जिले का रकबा बढेगा।इसलिये सही यह है कि अपीलान्ट का जो रकबा बढा है उसे कम कर दिजीये विवाद ही खत्म हो जायेगा ।जो रकबा बढा है वह रास्ते का रकबा अपीलान्ट के खाते में बढ गया । खसरा नं0- 491/4 के उत्तर में पुराना ख0नं0 491/1/1 रकबा 1749 बीघा 3 बिस्वा गै0मु0 आबादी मिल--कियत सरकार कदीम से चली आ रही है। उक्त आबादी से जोधपुर स्टेट को जाने हेतु नये दुजोद गेट से महामंन्दिर रोड होते हुये धर्माणा बगीची से लोसल होते हुये जोधपुर तक जाता है । जिसकी चौडाई उस समय 80 फिट चौडा कदीम से अस्तित्व में रहा था ।अपीलान्ट अतिक्रमण करते हुये राजस्व अधिकारियो से साठ गांठ कर पुराना ख0नं0 491/1/1 के नये ख0नं0 1631 रकबा 0.03 हैक्टर मिलकियत सरकार अपीलान्ट ने अपने खाते मे दर्ज करवा ली । जिसका अंकन पर्चा खतौनी में अंकित होने से अपीलान्ट द्वारा रास्ते की भूमि को अपनी खातेदारी मे मिला लिया जाना बखुबी प्रमाणित है। अपीलान्ट को भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी पर्चा खतौनी में विशेष नोट इस प्रकार डाला गया " नोट आदेश श्रीमान ए0आर0ओं साहब मिसल नम्बर 1351/85 आदेश 7-11-1985 के आधार पर ख0नं0 1631, 1634, 1635, 1645, 1646 कुल रकबा 0.15 हैक्टर कम होकर ख0नं0 1649 में इजाफा हुआ है ।अपीलान्ट के खातेदारी में बढाई गई 0.88 हैक्टर भूमि ख0नं0 494/1/1 मिलकियत सरकार जिसके नये ख0नं0 1631 का भाग है।अपीलान्ट ने उप खण्ड अधिकारी सीकर के समक्ष दिनांक 22-12-1983 का एक प्रार्थना पत्र पेश किया जिसकी मद सं0-3 में किया कि रावराजा कल्याणसिंहजी के कब्जे खातेदारी की भूमि ख0नं0 491/4/1 रकबा 29 बीघा 8 बिस्वा भूमि है जिसको

प्लाट बनाकर सन् 1966 में बेच दी इसमें कोई भूमि शेष नहीं है । विक्रमसिंह के खाते में ख0नं0 491/4×। में कोई आराजी नहीं है ।जब रावराजा विक्रमसिंह के पास कोई जमीन बची ही नहीं तो अपीलान्ट ने कहां से जमीन मिला ली । अपीलान्ट का यह कहना भी गलत है कि सींव पर आड के पेड अपीलांट के है यह आडू के पेड तो मेरी खातेदारी में सींव से 6 मीटर अन्दर है । अपीलान्ट ने रास्ते की भूमि को अपनी खातेदारी में मिला कर 0.88 हैक्टर रकबा अधिक दर्ज करवा लिया ।रास्ते के पश्चिम में भगवान शिव का मन्दिर है और वर्तमान में रास्ता 6 मीटर है । इससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट ने रास्ते पर अतिक्रमण किया है । अदालत मातहत ने एवं माननीय न्यायालय ने अपना आदेश उचित एवं विधिक दिया है । जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी भूल नहीं है ।अपीलांट ने गलत तरीके से अपने खातेदारी की भूमि की पूर्वी सीमा को उत्तर से दक्षिण 139.5 मीटर के स्थान पर 145 मीटर एवं पश्चिमी सींव को उत्तर दक्षिणी 122.5 मीटर के स्थान पर 130.5 मीटर, उत्तरी सींव को पूर्व से पश्चिमी 186 मीटर के बजाय 197 मीटर अर्थात 9 से 10 मीटर भूमि आम रास्ते की हडप कर अपनी भूमि में मिला ली ।अपीलान्ट के हक में पारित डिक्री विधि के विपरित है ।वह शुरू से ही शून्य है ।भू-प्रबन्ध विभाग ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा-16 वर्जित भूमि अपीलान्ट की खातेदारी में दर्ज कर दी गई जिसे अपीलान्ट की खातेदारी से अलग किया जाकर राज्य सरकार की खातेदारी में दर्ज किया जाना चाहिये था। जैसा 1977 आरआरडी पेज 497 में स्पष्ट किया गया है ।सम्वत 2012 से 2019 तक रामावतार या गंगाबक्स का अधिकार अभिलेख में शिकमी काश्तकार या उपकृषक भी दर्ज नहीं है इस कारण उन्हें धारा-19 आर टी एक्ट में खातेदारी नहीं दी जा सकती अदालत मातहत उप खण्ड अधिकारी ने अपीलान्ट को 6 बीघा 18 बिस्वा की खातेदारी विधि के प्रावधानों के विपरित दी है ।इसके समर्थन में 2009(2) आरआरटी पेज 835, 1009, 1305, आरआरटी 2006-07(एस0सी0) पेज 662 में स्पष्ट किया गया है । अपीलान्ट की भूमि का उत्तरी सींव का नाप 180 मीटर है जबकि वर्तमान में अपीलान्ट ने 198 मीटर पर अपना कब्जा होना बताया है। रास्ते की भूमि को अपनी खातेदारी मेंगैर

कानूनी रूप से मिला लिया । भू-प्रबन्ध विभाग को किसी खातेदार की भूमि न तो कम करने का अधिकार है और न ही किसी खातेदार की खातेदारी बढाने का अधिकार है जैसा 6 बीघा 18 बिस्वा का हैक्टर में रकबा 1.73 हैक्टर बनता है जबकि अपीलान्ट के खातेदारी में 2.61 हैक्टर दर्ज कर दिया जिससे अपीलान्ट के खाते में 0.88 हैक्टर रकबा अधिक दर्ज कर दिया जिसका अधिकार भू-प्रबन्ध विभाग को नहीं है ।जैसा आरआरडी 1955 पेज 493, आरआरडी 1969 पेज 231, आरआरडी 1973 पेज-31, आरआरडी 1975 पेज 493, आरआरडी 1977 पेज 497, आरआरडी 1982 पेज 669, 285, आरआरडी 2001 पेज 39, आरआर टी 2008(1) पेज 151, आरआरटी 2009(2)रा0उच्च न्यायालय पेज-954 में स्पष्ट है ।अपीलान्ट ने रिव्यू प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई तथ्य नहीं बताया जो निर्णय में रह गया हो । माननीय न्यायालय ने प्रथम दृष्टया ही रिव्य प्रार्थना पत्र सही नहीं होने पर खारिज किया गया था। रिव्यू प्रार्थना पत्र मे अपीलाट तहसीलदार सीकर का बेदखली आदेश दिनांक 3-1-1992 को निरस्त करने की प्रार्थना की है। जबकि तहसीलदार ने समग्र तथ्यों का विवेचन कर अपीलान्ट को बेदखल किये जाने का आदेश पारित किया है जिसकी अपील विद्वान जिला कलेक्टर को की जिसको बाद सुनवाई खारिज किया है । माननीय अदालत हाजा ने भी अपील को सभी तथ्यों पर गौर करते हुये खारिज किया है ।प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं रहा है जिससे रिव्यू प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जावे ।अपीलान्ट ने यह प्रार्थना पत्र गलत पेश किया है खारिज किया जावे । बहस के समर्थन में आरआरडी 1962 पेज-87, आरआरडी 1973 पेज 624, आर आरडी 1972 पेज 300, आरआरडी 1990 पेज 13, 225, 283, 578, आरआरडी 1992 पेज 388, आरआरडी 2007 पेज 299, आरआरडी 2008 पेज-41 आरआरटी 2008(2) पेज 1278, आरआरडी 2015 पेज 601 एवं आरआरडी 2014 पेज 703 पेश की ।

बहस बगौर समाहत की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया । आराजी ख0नं0 1631 रकबा 0.91 हैक्टर गै0मु0 रास्ता है ।जिसके पूर्व की तरफ अपीलान्ट रामावतार लोगानी ने पत्थर डाल कर रास्ते को अवरूद्ध किया है ।

अपीलान्ट रामावतार जोगानी का कहना है कि उसने पत्थर अपनी खातेदारी भूमि में डालना बताया मुख्य विवाद यही है ।इस पर तहसीलदार ने नायबतहसीलदार एवं भू-अभिलेख निरीक्षक से मौके की रिपोर्ट मंगवाई गई । जिसमें 40×4 मीटर का अतिक्रमण करना बताया है ।अपीलान्ट ने यह पत्थर अपनी खातेदारी में नहीं डालकर रास्ते की आराजी ख0नं0 163। में डाले है। जिससे तहसीलदार ने अपने आदेश से अपीलान्ट को बेखल किया गया है । अपीलान्ट की खातेदारी के पुराने ख0नं0 491/4 रकबा 6 बीघा 18 बिस्वा है जिसके नवीन खसरा नं0 1647, 1648 व 1649 कुल किता-3 रकबा 2.61 हैक्टर बने हैं ।जबकि 6 बीघा 18 बिस्वा के हैक्टर में रकबा 1.746 हैक्टर बनता है जबकि अपीलान्ट को 2.61 हैक्टर यानि 0.864 हैक्टर रकबा अधिक दिया गया है । किन्तु यहां पर विवाद इस बिन्दू का तय नहीं करना यहां पर अपीलान्ट ने विद्वान जिला कलेक्टर सीकर के आदेश दिनांक 29-9-93 के विरूद्व अपील पेश की है विद्वान जिला कलेक्टर सीकर ने अपीलान्ट की अपील मियाद के बाहर होने से खारिज की है। इस आदेश को अपील में चुनौति दी है।अदालत मातहत में अपीलान्ट को तहसीलदार के आदेश की जानकारी के बाद जानकारी से अपील मियाद बाहर पेश करने पर विद्वान जिला कलेक्टर ने अपीलान्ट की अपील खारिज की है।तहसीलदार के आदेश दि0 3-1-92 के विरूद्व उदयलाल पुत्र रामलाल ने भी एक अपील पेश की जिस पर विद्वान जिला कलेक्टरसीकर ने माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 19-1-93 को निर्णय दिया कि दोनो पक्षों की उपस्थिति में नपती करवाई जावे तथा रास्ते में अतिक्रमण हटाया जावे । उदयलाल की यह अपील विद्वान जिला कलेक्टर सीकर ने स्वीकार की है।अपीलान्ट रामावतार जोगानी ने तहसीलदार के आदेश की अपील जिला कलेक्टर के न्यायालय मे मियाद बाहर पेश की है जो गणना करने पर स्पष्ट रूप से मियाद बाहर है ।अपीलान्ट ने रिव्यू प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई बिन्दू नहीं बताया जिससे अदालत हाजा के निर्णय को रिव्य किया जावे । अदालत हाजा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

का निर्णय दिनांक 21-4-2000 उचित एवं विधिक है जिसको रिव्यू किया जाना उचित नही मानते है ।

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी/अपीलान्ट का प्रार्थना रिव्य खारिज किया जाता है तथा अदालत हाजा का निर्णय दिनांक 21-4-2000 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 4.6.2018 को सुनाया गया ।

4/6/18

(भंवरलाल मेहरड़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर